न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण : 63/2021GCMS No 2021/241

दायरा तिथि : 05.10.2021

आदेश तिथि : 25-07-22

प्रार्थीगण :–

1. फुलसिंह पुत्र प्रतापजी जाति राजपुत
2. परबतसिंह पुत्र फुलसिंह जाति राजपुत
3. इन्द्राकुवर पत्नि फुलसिंह जाति राजपुत
4. शिवलाल पुत्र गुलाबजी जाति कुम्हार

निवासी गण चामुण्डेरी तहसील बाली जिला पाली वगैरा

ब ना म

अप्रार्थी :–

अमरसिंह पुत्र छोगसिंहजी जाति राजपुत

निवासी चामुण्डेरी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 25-07-22

प्रार्थीगण परबतसिंह पुत्र फुलसिंह, इन्द्रा पत्नि फुलसिंह, पुखराज पुत्र गुलाबराम, जुहारमल पुत्र गुलाबराम, जवानमल पुत्र गुलाबराम, हुहारमल पुत्र गुलाबराम, रमेशकुमार पुत्र गुलाबराम, लुम्बाराम पुत्र गुलाबराम, मंशाराम पुत्र गुलाबराम, शिवलाल पुत्र गुलाबराम, मोहनलाल पुत्र गुलाबराम, पोकरीबाई पत्नि गुलाबराम, मांगीलाल पुत्र बगाराम, रतनलाल पुत्र बगाराम, हंजाबाई पत्नि बगाराम, मगा पुत्र हंसा, गजा पुत्र तेजा, विजयसिंह पुत्र प्रतापसिंह, रामाराम पुत्र गोरखाराम, दिनेशकुमार पुत्र मंछाजी कुम्हार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 केम्प चामुण्डेरी में दिनांक 05.10.2021 को उपस्थित होकर धारित खातेदारी भूमियो ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नंबर 544, 545, 546/3041, 546/3081, 546/3082, 546/3083, 592, 599, 546 की भूमियो में आवागमन के लिये विगत् 50 वर्षो से चालु रास्ते खसरा नंबर 542 रकबा 6.00 हैक्टर के खातेदार अमरसिंह पुत्र छोगसिंह जाति राजपुत निवासी चामुण्डेरी द्वारा गेट लगाकर बंद करने से रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण राजस्व केम्प में प्रस्तुत होने से न्यायालय द्वारा **सो–मोटो** आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 के तहत दर्ज रजिस्टर कर इस संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थी अमरसिंह पुत्र छोगसिंह को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, चामुण्डेरी ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1077 दिनांक 13.04.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1.यह हैं कि ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नंबर 544 व 599 रकबा क्रमशः 0.64 हैक्टर व 1.45 हैक्टर भूमि गजा पुत्र तेजा जाति मीणा, खसरा नंबर 546/3081 रकबा 0.20 हैक्टर व खसरा नंबर 546/3083 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि मांगीलाल पुत्र बगाराम हि. 1/3, रतनलाल पुत्र बगाराम हि. 1/3, हंजाबाई पत्नि बगाराम हि. 1/3 जातिगण कुम्हार व खसरा नंबर 545 रकबा 0.82 हैक्टर भूमि इन्द्रकंवर पत्नि फूलसिंह जाति राजपुत व खसरा नंबर 592 रकबा 1.04 हैक्टर भूमि परबतसिंह पुत्र फूलसिंह जाति राजपुत के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज हैं। उपरोक्त वर्णित खातेदारो की धारित भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
	542	6.00 हैक्टर	बा.दो..	105X5=525 वर्गमीटर	1. अमरसिंह पुत्र छोगसिंह हि. 1/4 2..कुलदीपसिंह पुत्र अमरसिंह हि. 1/4 3. गजेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह हि. 1/4 4. दरियावकंवर पत्नि अमरसिंह हि. 1/4 जातिगण राजपुत निवासी चामुण्डेरी

पेज लगातार.........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण : 63/2021GCMS No 2021/241
अनवान परबतसिंह वगैरा बनाम अमरसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम चामुण्डेरी की डी.एल.सी. दर 124560/–रूपये प्रति हैक्टर है।
4. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/ वृक्ष नहीं हैं एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रकरण में वर्णित अप्रार्थी अमरसिंह पुत्र छोगसिंहजी जाति राजपुत को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करते हुये प्रकरण को कन्टेस्ट किया। तथा दिनांक 23.05.2022 को प्रार्थीगण के खसरा नंबर 601 से होकर रास्ता होना बताया। इस पर प्रार्थी पक्ष व उनके अधिवक्ता ने खसरा नंबर 601 से भी रास्ता लेने में सहमति प्रकट की, परन्तु उक्त रूट में खसरा नंबर 602 पडने से एवं खसरा नंबर 602 के खातेदारान् को बिना श्रवण किये गये कोई कार्यवाही की जाना न्याय संगत नहीं होने से खसरा नंबर 602 के खातेदारान् को भी न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये। खसरा नंबर 602 के खातेदारान् को नोटिस जारी किये जाने पर खातेदार ताराराम पुत्र देवाजी व बदामीदेवी पत्नि ताराराम की ओर से वकील श्री ओमदवे द्वारा दिनांक 15.06.2022 को वकालतनामा पेश किया गया। एवं खसरा नंबर 602 के बकाया खातेदार देवा एवं मोहनीदेवी बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 28.06.2022 को अप्रार्थी अधिवक्ता श्री अमृत परिहार ने निम्न आपत्तियॉ पेश की:–

1. कि प्रार्थी पक्ष ने निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत नहीं है जो आदेशात्मक होने से प्रार्थी को निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित जावे।
2. कि प्रार्थी पक्ष ने खसरा नंबर 545, 544 के खातेदारान् को बतौर प्रार्थी अथवा अप्रार्थी पक्ष के तौर पर पक्षकार नहीं बनाया है एवं टूकडो में रास्ता की मांग की है।
3. कि खसरा नंबर 546, 545, 544 के सभी सह खातेदारान् आवश्यक पक्षकार है जिसके अभाव में आवेदन कानूनन पोषणीय नहीं हैं।
4. कि प्रार्थी पक्ष ने ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नंबर 542 मेंसे रास्ता की मांग की है एवं मूल आवेदन में गत् 50 वर्ष से चालू रास्ता होने व बन्द करने के तथ्य उल्लेखित कर आम रास्ता के बतौर मांग की है जिस हेतु धारा 251, 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधालन आकर्षित नहीं होते हैं जिससे भी उक्त आवेदन पोषणीय नहीं है।
5. कि तहसीलदार की रिपोर्ट एवं खतौनी के अनुसार हाल खसरा नंबर 542 रकबा 6.00 हैक्टर के रेकर्डेड खातेदारान् अप्रार्थी अमरसिंह के अलावा कुलदीपसिंह, गजेन्द्रसिंह एवं दरियाकंवर भी हैं जिनको भी प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के तहत पक्षकार बनाये जाने हेतु निर्देशिर्त किया जाना न्यायोचित है इस प्रकार पक्षकारो के असंयोजन से भी आवेदन काबिल खारिज हैं।
6. कि दिनांक 23.05.2022 को अन्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में खसरा नंबर 601, 602 के सह खातेदार भी आवश्यक पक्षकार है तथाकथित पर्वतसिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13.04.2022 की प्रति भी अप्रार्थी को उपलब्ध करवाना एवं न्यायोचित आदेश जारी करना न्यायोचित हैं।

तथा प्रस्तुत इन आपत्तियों के अनुसार प्रार्थी पक्ष को उपरोक्तानुसार नये सिरे से आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने हेतु हिदायत करने एवं आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार बनाने हेतु हिदायत करने एवं इसके अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

इसी प्रकार खसरा नंबर 602, 601 के खातेदारान् ताराराम पुत्र देवाजी, बदामी पत्नि तारारामजी जातिगण सुआरा निवासीगण चामुण्डेरी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमदवे ने आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 544, 545, 546, 592, 599, 546/3041, 3081, 3083 में जाने हेतु प्रार्थीगण ने रास्ता खसरा नंबर 602 व 601 से चाहा है, जबकि इन खातेदारान् के पूर्व में मौके पर पीढीयो से पुराना रास्ता आया हुआ हैं। उस रास्ते की भूमि से नहीं जाकर नये सिरे से हम अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 602, 601 मेंसे रास्ता की मांग की गई है, जो न्याय संगत नहीं होने से पीढीयो से उपलब्ध रास्ते से ही रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से आपत्तियॉ प्रस्तुत होने तथा तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार आवेदकगणो को खसरा नंबर 542 की भूमि मेंसे रास्ता दिलाये जाने की दलील दी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो के खण्डन स्वरूप अप्रार्थी अमरसिंह पुत्र छोगसिंह द्वारा दिनांक 21.08.2003 को प्रार्थीगण के पक्ष में लिखे गये ईकरारनामे की प्रति एवं दिनांक 23.05.2014 को प्रार्थी फुलसिंह पुत्र प्रतापसिंह के पक्ष में लिखे लिखत ईकरारनामा की फोटो प्रति पेश की गई। वकील अप्रार्थी श्री अमृत परिहार ने बहस में आपत्तियों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण : 63/2021GCMS No 2021/241
भगवान पर्वतसिंह वगैरा बनाम अमरसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि ग्राम चामुण्डेरी राणावतान् स्थित राजस्व भूमि खसरा नंबर 544, 545, 546/3041, 546/3081, 546/3082, 546/3083, 592, 599, 546 की भूमियों में आवागमन के लिये कोई रिकार्डेड रास्ता वर्तमान में नहीं है। अप्रार्थी पक्ष की आपत्तियो के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जो यह सिद्ध करे कि ग्राम चामुण्डेरी स्थित भूमियो खसरा नंबर 544, 545, 546/3041, 546/3081, 546/3082, 546/3083, 592, 599, 546 में आवागमन के लिये कोई रिकार्डेड रास्ता वर्तमान में उपलब्ध है। इसके विपरित प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत ईकरारनामा दिनांक दिनांक 21.08.2003 जो कि प्रार्थीगण के पक्ष में लिखा गया की प्रति एवं दिनांक 23.05.2014 को प्रार्थी फुलसिंह पुत्र प्रतापसिंह के पक्ष में लिखे लिखत ईकरारनामा की फोटो प्रति यह प्रमाणित करते हैं कि प्रार्थी पक्ष के खातेदारी भूमियों में आवागमन के लिये कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से खसरा नंबर 542 के खातेदार अमरसिंह पुत्र खेमसिंह से भूमि रास्ता प्रयोजन से 18000/–रूपये की प्रतिफल राशि अदा करते हुये खरीद की है। तथा केम्प में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व उसके संलग्न नक्शे में वर्णित अनुसार खसरा नंबर 542 के खातेदार द्वारा गेट लगाकर रास्ता बंद करने से प्रार्थीगणो के द्वारा आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसको न्यायालय द्वारा सो– मोटो धारा 251(ए) का प्रार्थना पत्र मानते हुये अग्रिम कार्यवाही की गई। जिस प्रकरण में खसरा नंबर 542 के खातेदार की ओर से अधिवक्ता अमृत परिहार द्वारा अनावश्यक आपत्तियाँ पेश की गई। जिससे अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो को खारिज किया जाता है। हस्तगत् प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थीगण पक्ष द्वारा केम्प में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 542 के खातेदार द्वारा मौके पर विद्यमान कदीमी रास्ता को गेट लगाकर बन्द करने से रास्ते के आदेश के लिये निवेदन किया गया। जिस तथ्य को तहसीलदार, बाली ने अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है। तथा मौका स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार तथा खसरा नंबर 602 व 601 के खातेदारो ताराराम पुत्र देवाजी वगैरा द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में भी कदीमी रास्ता पीढीयो से प्रार्थीगण के आवेदन अनुसार होना स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत लिखत की प्रतियो के अनुसार भी अप्रार्थी द्वारा रास्ता प्रार्थीगण को किमतन देना बताया है। हस्तगत् प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थीगण एक–दो न होकर अनगिनत है, अर्थात् बहुत सारे खातेदार उक्त रास्ता को लेकर पीडित पक्षकार है। इस सबंध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप'–6) विभाग के परिपत्र क्रमॉकः प. 3(17) राज–6/2021/पार्ट/91 जयपुर, दिनांक 30.09.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या–04 के उप बिन्दु 02 के अनुसार जहां खातेदार द्वारा रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को राजहित में समर्पण करने से मना कर दिया जावे उस प्रकरण में रास्ते में काम में आ रही भूमि को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे परन्तु उसे काश्तकार की खातेदारी में ही रहने दिया जावे। इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में जाहिर हैं कि ग्राम चामुण्डेरी राणावतान् स्थित राजस्व भूमि खसरा नंबर 544, 545, 546/3041, 546/3081, 546/3082, 546/3083, 592, 599, 546 की भूमियों में आवागमन के लिये कोई रिकार्डेड रास्ता वर्तमान में नहीं है, परन्तु उक्त खातेदारान् खसरा नंबर 542 की भूमि मेंसे से आवागमन कदीम से करते आ रहे है, जिसको अप्रार्थी द्वारा गेट लगाकर बन्द कर दिया है। जिसके लिये केम्प में प्रार्थीगण खातेदारो द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिससे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियो तक पीढीयो से कदीमी रास्ता खसरा नंबर 542 मेंसे होकर गुजरने के बावजुद अप्रार्थी द्वारा गेट लगाकर बन्द कर देने से इस सबंध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप'–6) विभाग के परिपत्र क्रमॉकः प. 3(17) राज–6/2021/पार्ट/91 जयपुर, दिनांक 30.09.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या–04 के उप बिन्दु 02 के अनुसार प्रार्थीगणो को कदीमी रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत है। इस हेतु तहसीलदार, बाली को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी के आवेदन में वर्णित तथ्यो के अनुसार ग्राम चामुण्डेरी राणावतान् स्थित राजस्व भूमि खसरा नंबर 544, 545, 546/3041, 546/3081, 546/3082, 546/3083, 592, 599, 546 की भूमियों में आवागमन के लिये खसरा नंबर 542 में मौजुद कदीमी रास्ता को गै.मु रास्ता रेकर्ड में दर्ज करवाने के लिये राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप'–6) विभाग के परिपत्र क्रमॉकः प. 3(17) राज–6/2021/पार्ट/91 जयपुर, दिनांक 30.09.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसरण प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के सात दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। तहसीलदार, बाली से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार आदेश जारी हो। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उप (सुश्री जायुबे रिमेल्स, काली)
बाली, जिला-पाली (राज)
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 25-07-22 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज)

Scanned with CamScanner